



कार्यालय

फोन/फैक्स नं०- 01375-224233

E-Mail

harkar@barkar.com

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,
पत्राक- 2966/12-1 दिनांक, बड़कोट, मई, 07, 2018।

सेवा में,

विद्या टेलीलिंक्स लि०,
ई०पी०सी० डिविजन,
इण्डस्ट्रीयल एरिया, मोहाली पंजाब।

विषय-

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सरुखेत से राड़ी टॉप तक ऑप्टिकल फाईबर केवल बिछाने हेतु 0.66 हे० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भ:-

उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 394/X-4-18/1(78)/2018 दिनांक- 02.05.2018।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन द्वारा विषयगत ऑप्टिकल फाईबर केवल बिछाने हेतु अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या- 1 तथा 2 के अनुसार निम्न प्रकार धनराशि आपके द्वारा जमा की जानी है जिसका मांग पत्र संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि मांग पत्र के अनुसार धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर शर्त संख्या- 1 से 6 की अनुपालन आख्या तथा जमा धनराशि का चालान की प्रति तथा अन्य प्रमाण पत्रों सहित सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें, ताकि अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(जे०पी०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(जे०पी०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सरुखेत से राडी टोप तक ऑप्टिकल फाईवर केवल बिछाने हेतु विध्या टेलीलिकस लि० को 0.66 हे० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अन्तर्गत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र।
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट

क्र० सं०	मोटर मार्ग का नाम	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण का क्षेत्रफल (हे० में)	दर प्रति हे० (प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक क 972/3-5-2(II) दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2018-19 हेतु निर्धारित दर के अनुसार)	जमा की जाने वाली आकलित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत सरुखेत से राडी टोप तक ऑप्टिकल फाईवर केवल बिछाने हेतु विध्या टेलीलिकस लि० को 0.66 हे० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव	0.66	5	0.1	1- प्रस्तावित स्थल के आस पास रिवत पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि 2- एन०पी०वी० की धनराशि	100 पौध रोपण 0.66	1100.00 पौध प्रति की दर से 657000.00 प्रति हे०	1,10,000.00 4,33,620.00
कुल योग		पांच लाख तेतालीस हजार छः सौ बीस रू०						5,43,620.00

(जे०पी० सिंह)
प्रभागीय वनधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

-1 land transfer..